न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 135/2013
आरसीएमएस नं0 2013/00341
अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट

ताराचन्द पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा जिला हनुमागनढ।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. रामचन्द } पि0 भोमाराम जाति जाट सरदारगढिया
2. रामस्वरूप } तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. सावित्री बेवा दाताराम जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा।
4. पवन कुमार पुत्र दाताराम जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा।
5. धर्मपाल पुत्र दाताराम जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा।
6. कृष्णा पत्नी औमप्रकाश पुत्र दाताराम जाति जाट निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
7. सजना पत्नी श्री प्रकाश पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा।
8. प्रमिला पत्नी अनार सिह पुत्र हीरालाल जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ।

– रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 21.08.2013
द्वारा उपखण्ड अधिकारी भादरा,
प्र0 सं0 63/2013 अनवान ताराचन्द बनाम रामचन्द अदि
श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता अपीलाण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांकः- 21.7.22

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें चक 7 एमएसआर की कुल 3.1360 है0 भूमि में सायल एवं गैरसायल सं0 1 ता 8 संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार होना बताया एवं कथन कियाकि गैरसायल सं0 1 ता 8 सायल को उसके 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा डालते हैं। वाद भूमि संयुक्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अपीलाण्ट प्रार्थी ने दरख्वास्त की मद सं0 2 में वर्णित 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि में प्रार्थी की काश्त आदि में किसी प्रकार की दरखलन्दाजी नहीं करनें एवं प्रार्थी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा या रूकावट पैदा नहीं करने का अनुतोष मांगा। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया एवं कथन कियाकि स्वयं प्रार्थी ने स्टे हासिल करके ट्रैक्टरों से हैरो चलाकर मु0 नं0 40 के किला नं. 3 व 4 की सींव डोल तोड़ डाली और स्थानीय पुलिस उसकी मदद कर रही है। जोत संयुक्त होने के नाते प्रार्थी विशिष्ट भूमि की बाबत स्थगन जारी नहीं करवा सकता है। प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/प्रार्थी ने यह अपील पेश की है।
2. रेस्पोडेण्ट के सम्मन रजिस्टर्ड ए.डी. भिजवाये गये उनकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया, लिहाजा अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।
3. अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन कियाकि मातहत अदालत ने दरख्वास्त का अंतिम फैसला कर दिया है जबकि रेस्पोडेण्ट स्वयं सींव डोल तोड़ने के झगड़ा मानते हैं। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र का निर्णय करते समय प्रार्थना–पत्र का वाद की मेरीट का ही अन्तिम तोर से निस्तारण कर दिया जो विधि की भयंकर भूल है। अपीलाण्ट द्वारा रेस्पो0 को उसका हिस्सा काश्त करने से रोकने की इस्तदुआ नहीं थी यदि उसका हिस्सा है तो उसमें हस्तक्षेप ना करे सींव डोल ना तोड़े यथास्थिति बनाये रखे। सह काश्तकार के विरूद्ध टी. आई. जारी की जा सकती कोई कानूनी वर्जना नहीं है। यदि वादग्रस्त सम्पति को रहन/बेय अथवा सींव डोल व काश्त सम्बधी झगड़ा हो तो धारा 212 आरटीएक्ट में प्रथम दृष्टया प्रकरण पूर्व तौर से बनता है। जैसा कि आरआरसी 2000 पेज

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

435 व आरआरडी पेज 509 में हेल्ड किया गया है। सह हिस्सेदार के मामले में भूमि का कब्जा सबूत आवश्यक नही है। अस्थाई निषेधाज्ञा मंजूर कर यथास्थिति दी जानी कानूनी तौर पर आवश्यक है। धारा 212 आरटीएक्ट के प्रार्थना–पत्र में विभाजन की इस्तदुआ नहीं की केवल स्थगन चाहा गया था। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश गैर कानूनी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायलाय में मु0 नं0 31 के किला नं0 23 की 1 बीघा मु0 नं0 40 के किला नं. 3 की 12 बिस्वा खातेदारी भूमि उसके कब्जा काश्त में होना बताते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है कि उसके कब्जा काश्त में मदाखलत ना करें। प्रश्नगत भूमि संयुक्त खाता की भूमि है एवं संयुक्त खाता की भूमि में प्रत्येक इंच भूमि पर सहकाश्तकार का काबिज होना माना जाता है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट को सहखातेदारी भूमि के विशिष्ट किला को काश्त करने के लिए बिना खाता विभाजन करवाए अधिकृत नही किया जा सकता है ना ही किसी सह काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट ने सहकाश्तकारों के मध्य सींव डोल का विवाद बताया है अपीलाण्ट चाहे तो प्रश्नगत भूमि की पैमाईश करवाने हेतु स्वतंत्र है।

6. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.2013 यथावत रखा जाता है। अपीलाण्ट चाहे तो प्रश्नगत भूमि की पैमाईश करवाने हेतु स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.7.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

21/7/22

(करतार सिंह पूनियाआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ